संo-1/दिoसoनिo(बजट)-15/2018 स.क.-

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

प्रेषक,

राज कुमार, भाoप्रoसेo
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा) के अंतर्गत भारत सरकार से विमुक्त राशि के आलोक में बाधामुक्त परिसर के निर्माण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार की सिपडा योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान संचालित है । दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तथा समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली) द्वारा सुगम्य भारत अभियान सम्पूर्ण राष्ट्र में संचालित किया गया है। इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इसी परिपेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्राक्कलन के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा 3 (तीन) शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों के सुगम पहुँच हेतु बाधामुक्त परिसर निर्माण हेतु निम्न तालिकानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली) पत्रांक-:-4-37/2017-AIC (Pt.-1) दिनांक-02.02.2018 (संलग्न) के द्वारा राशि विमुक्त की गई है ।

S. No	Building's Name	Estimated cost (Rs in Lacs) Send to Central Govt.	Amount Sanction by Central Govt.	Amount Released as 1st Installment by Central Govt.
1	Government Women's Polytechnic, Patna, Bihar.	1931000	1931000	965500
2	Government Polytechnic College, Gulzarbagh, Patna, Bihar.	1892000	1892000	946000
3	New Govt. Polytechnic, Patna-13	2019000	2019000	1009500
	कुल :–	**5842000**	5842000	**2921000**

2. इस क्रम में विभागीय राज्यादेश संo-3/योo-27/2017(खण्ड)-20 दिनांक-24.08.2018 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा) के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या-03 के अंतर्गत कुल रू0 58,42,000/- (अन्ठावन लाख बयालीस हजार रूपये) मात्र बजट का प्रावधान प्रथम अनुपूरक से किया गया है ।

<u>कृ0पृ0उ0/-</u>

भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में कार्य करने हेतु कुल रू0 29,21,000/- (उन्तीस लाख इक्कीस हजार रूपये) मात्र की राशि उक्त तालिका में अंकित 3 (तीन) सरकारी भवनों में सुगम्य भारत अभियान के तहत बाधामुक्त परिसर के निर्माण के कार्य करने हेतु विमुक्त की गई है ।

3. उक्त राशि मांग संख्या-03-भवन निर्माण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघुशीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उपशीर्ष-0224-दिव्यांग् व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा), विषय शीर्ष-0224.27.01.लघु कार्य, विपत्र कोड-03-2235021010224 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-3758/वि0 दिनांक-31.05.2017, पत्रांक-378/वि0 दिनांक-16.01.2018, पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. प्रावधानित राशि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा) के कार्यान्वयन हेतु सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत मद में ही व्यय किया जायगा, अन्य किसी मद में नहीं । राशि का व्यय सुगम्य भारत अभियान के दिशा निदेश के आलोक में किया जायेगा ।

6. व्यय की गई राशि का व्यय ब्यौरा महालेखाकार को भेजते हुए निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को भारत सरकार के पत्रांक-4-37/2017-AIC (Pt.-1) दिनांक-02.02.2018 में उल्लिखित प्रपत्र में उपलब्ध करायेगें ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांकः-1/दि0स0नि0(बजट)-15/2018 स.क.- पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (लेखा एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांकः-1/दि0स0नि0(बजट)-15/2018 स.क.- पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांकः-1/दि0स0नि0(बजट)-15/2018 स.क.-655 पटना, दिनांक :- 02/11/18

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (योजना प्रभारी), सहायक निदेशक (बजट प्रभारी), सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लेखा शाखा (दो प्रतियों में), दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 01/11/18

E/Divayangjan/Allotment-2018-19/5-6

(6)